

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
योजना भवन, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-19
नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़
टेलीफैक्स : 0771-2511223 ईमेल: ms.cgspc@nic.in

// स्वीकृति आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/03/2022
क्रमांक 530...../F2(SS)-04/रायोआ/2020 : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त निर्देश 30/2016 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये एतद् द्वारा Dr. Ajay Kumar Singh, Asst. Pro. Dept. of Forestry, Wildlife & Environmental Sciences, Guru Ghasidas University Bilaspur को उनके द्वारा प्रस्तुत शोध/अध्ययन प्रस्ताव "A survey on poverty and livelihood vulnerability of the riverine communities in the context of pollution of the Arpa river in Bilaspur, Chhattisgarh." हेतु राशि रु. 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) को दो किश्तों में प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ उक्त स्वीकृति "Research Evaluation Committee" की बैठक दिनांक 03/03/2022 में प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर जारी की जा रही है।

3/ निम्नानुसार मदवार राशि रु. 5.00 लाख प्रदाय की स्वीकृति प्रदाय की जाती है -
(अ) अनावर्ती व्यय - रु. 1.00 लाख
(ब) आवर्ती व्यय - रु. 4.00 लाख

A. Non Recurring (Equipment if required) Mximum Rs.1.00 lakhs (Rupees One Lakh Only)

S.N.	Name of Equipment/ Facilities to procured	Specification of equipment	No. of Units	Estimated Cost (Rs.) as on date
1	HI9829 Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter	Hanna Instruments	1	96,000
2.	Satellite Images	from NRSC, Hyderabad	4	4,000
Sub Total				1,00,000

B. Recurring

S.N.	Item	Budget	Total
1.	Honorarium to Manpower Project Staff (One)	20,000/- per month	80,000
2.	Travel & field work For field survey and sample collection,	50,000/-	50,000
3.	Hiring Services Hiring Services for sample collection, field survey and analysis	30,000/-	30,000
4.	Contingencies Fund will be used for stationary items photostat copies, postage, computation, consumable items and printing	2,40,000/-	2,40,000
Sub Total			4,00,000
Total : (a+b)		5,00,000	5,00,000


उपरोक्तानुसार योजना के नियम, शर्त के आधार पर उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में पूर्ण अनावर्ती व्यय तथा आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत यथा रु. 3.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्य हेतु 04 माह की अवधि निर्धारित की गई है। उक्त अवधि की गणना प्रथम किश्त जारी दिनांक से की जावेगी।

4/ उपरोक्तानुसार व्यय मांग संख्या-31 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय योजना क्रमांक 7639--राज्य योजना का सुदृढीकरण मूल्यांकन एवं अनुसंधान के अंतर्गत #10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, उपशीर्ष 003- परामर्श सेवाएं मद से विकलनीय होगी।

5/ राज्य योजना आयोग द्वारा योजना अंतर्गत आदेश क्रमांक 1408 दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी "Guideline for sponsoring Research Projects/Study Proposals" तथा MoU अंतर्गत निहित समस्त नियम एवं शर्तों तथा का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

6/ मुख्य नियम व शर्तें -


- 6.1/ स्वीकृत राशि में से प्रथम किश्त के रूप में अनावर्ती व्यय हेतु पूर्ण राशि तथा आवर्ती व्यय हेतु प्रस्ताव की 50 प्रतिशत राशि प्रदाय की जावेगी। उक्त राशि संस्था प्रमुख को जारी की जावेगी। जिसे उनके द्वारा Principal Investigator को जारी किया जा सकेगा। स्वतंत्र शोधकर्ता को राशि सीधे प्रदाय की जावेगी।
- 6.2/ प्रथम इंटिम रिपोर्ट, व्यय का विवरण तथा एनेक्सर-3 अनुसार निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा प्रस्तुत करने के बाद द्वितीय एवं अंतिम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
- 6.3/ शोध की ड्राफ्ट रिपोर्ट को "Research Evaluation Committee" के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा दिये गये सुझाव अनुरूप अंतिम रिपोर्ट मय संक्षेपिका तथा सुझाव के साथ एनेक्सर-4 संलग्न करते हुये 5 हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी राज्य योजना आयोग को संस्था प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।
- 6.4/ फाईनल रिपोर्ट के साथ सामग्रीवार व्यय का विस्तृत विवरण (मय बिल/वाउचर) तथा उपयोगित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में दिया जाना होगा।
- 6.5/ अनुपयोगित राशि को राज्य योजना आयोग को NEFT/RTGS/Demand Draft (सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के नाम से) के माध्यम से वापिस किया जाना होगा।
- 6.6/ शोध/अध्ययन परियोजनाओं/अध्ययन हेतु प्रदाय राशि से क्रय की गई अनावर्ती स्वरूप की सामग्रियों को संबंधित शासकीय संस्था/विभाग को जमा करना होगा जिसकी स्टाक एन्ट्री संस्था/विभाग द्वारा की जाकर उसकी पावती फाईनल रिपोर्ट के साथ प्रदाय करनी होगी। स्वतंत्र शोधकर्ता/गैर सरकारी संस्था द्वारा अनावर्ती स्वरूप की सामग्री को राज्य योजना आयोग के भण्डार शाखा में फाईनल रिपोर्ट प्रदाय के समय जमा करना होगा।
- 6.7/ सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये करना होगा।
- 6.8/ प्रदत्त स्वीकृति अंतर्गत जारी राशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना अनुसार घटकवार निर्धारित सीमा में सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 6.9/ निर्धारित उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र अनुसार पूर्ण कार्य संपादन सुनिश्चित न होने पर प्रदायित राशि को वापिस किया जाना होगा।
- 6.10/ शोध/अध्ययन संबंध में हुई प्रगति व अन्य जानकारी को राज्य योजना आयोग द्वारा चाहे जाने पर उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।


(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक: 531 / F2(SS)-04 / रायोआ/अ.प्र./2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15/03/2022
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़।
2. निज सहायक, माननीय सदस्य, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़।
3. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. Vice-Chancellor, Guru Ghasidas University Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अवर सचिव, छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. Dr. Ajay Kumar Singh, Asst. Pro. Dept. of Forestry, Wildlife & Environmental Sciences, Guru Ghasidas University Bilaspur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संयुक्त संचालक, वित्त, राज्य योजना आयोग को। संबंधित अध्ययनकर्ता से प्राप्त बैंक संबंधी विवरण अनुसार किश्त प्रदाय की कार्यवाही सुनिश्चित करें, लेखा अद्यतन रखें तथा राशि प्राप्ति दिनांक व प्रकार से शोध शाखा, राज्य योजना आयोग को अवगत करावे।


सदस्य सचिव

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़